भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 3509
मंगलवार,17 दिसंबर, 2024/19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

+3509. श्री के. सुधाकरनः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहकारी क्षेत्र की क्षमता को पहचानती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों को सहायता देने और बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) सरकार की देश में सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार रोजगार सृजित करने की योजना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हाँ, महोदय**।** सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और देश भर में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने तथा उनकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए विभिन्न पहल और सुधार किए हैं। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ सहकारिता मंत्रालय ने देश भर में सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनका विवरण **अनुबंध -I में संलग्न है** ।

(ग) एवं (घ): सहकारिता को मजबूत करने के लिए एनसीडीसी सहित सहकारिता मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं-

I. कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से PACS को मजबूत बनाना- PACS को मजबूत बनाने के लिए, 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक PACS के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें देश में सभी कार्यात्मक PACS को एक सामान्य ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें StCB और DCCB के माध्यम से NABARD से जोड़ना शामिल है। परियोजना के तहत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 67,930 PACS को मंजूरी दी गई है। कुल 40,727 PACS को ERP सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है और 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा

हार्डवेयर खरीदा गया है। इस परियोजना के तहत स्वीकृत और जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण **अनुबंध -II (क) में दिया गया है।**

II. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण : दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) की 1,851 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। अब तक, 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सहायता प्रणाली की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 4.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत स्वीकृत एआरडीबी और जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II (ख) में है** ।

III. चीनी सहकारी मिलों को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना शुरू की गई: सरकार ने इथेनॉल संयंत्र या सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी या तीनों उद्देश्यों के लिए एनसीडीसी के माध्यम से एक योजना शुरू की है। अब तक मंत्रालय ने इस योजना के तहत एनसीडीसी को 750 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपये) जारी किए हैं और 7.11.2024 तक एनसीडीसी ने अब तक 58 सीएसएम को 8040.38 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

IV. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संगठन है, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के विकास के लिए निगम प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को क्रियान्वित करता है। एनसीडीसी द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाएं और कवर की गई गतिविधियां **अनुबंध-II (ग) में संलग्न हैं।**

एनसीडीसी ने सहकारी समितियों के विकास के लिए संचयी रूप से 378544.60 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान गतिविधि-वार और राज्य-वार संवितरण **अनुबंध-III और अनुबंध_-IV में संलग्न है।** सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प आदि जैसे क्षेत्रों में टिकाऊ, समावेशी और विकासोन्मुखी सहकारी समितियों के निर्माण पर केंद्रित है। कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से, सहकारी मॉडल का लाभ ग्रामीण भारत में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करने के लिए उठाया जाता है।

******

अनुबंध -I

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों की प्रगति

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से, देश में "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने और प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों में सहकारी आंदोलन को सशक्त और मजबूत करने के लिए अनेक पहलें की हैं । इन पहलों की सूची और इनकी अब तक हुई प्रगति निम्नानुसार है:

क. प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

1. **पैक्स हेतु आदर्श (मॉडल) उपनियम जो उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्थाएं बनाते हैं**: सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया है, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने तथा अपने प्रचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हेतु सक्षम बनाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के भी उपबंध किए गए हैं । अब तक 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आदर्श उपविधियां अपनाई गई हैं या उनकी मौजूदा उपविधियां आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं।

2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण:** पैक्स को सुदृढ़ करने हेतु 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हैं, जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है । इस परियोजना के अधीन 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 67,930 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं । 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद कर ली गई है तथा कुल 40,727 पैक्स को ERP पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है ।

3. **अनाच्छादित पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना:** भारत सरकार ने आगामी पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों और गांवों को आच्छादित करने के लक्ष्य से नए बहुउद्देशीय पैक्स/ डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को अनुमोदित किया है । यह पहल नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा समर्थित है । इसके सफल कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19.09.2024 को 'मागदर्शिका' विमोचित किया गया है, जिसमें सभी हितधारकों के लिए लक्ष्य और समय-सीमा उल्लिखित है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, दिनांक 15.02.2023 को इस योजना के अनुमोदन के पश्चात् देश में कुल 8,823 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा चुका है ।

4. **सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि सहित

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदमों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु परियोजना को मंजूरी दे दी है । इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी । पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

5. **ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स:** पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है । अब तक 40,214 पैक्स द्वारा ग्रामीण नागरिकों को CSC सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है।

6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना:** सरकार ने ऐसे ब्लॉक में जहां अब तक किसान उत्पादक संगठन स्थापित नहीं हुई है या ऐसे ब्लॉक जहां कोई कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से पैक्स को 1,207 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने की अनुमति दी है । इसके अतिरिक्त, सहकारिता के क्षेत्र में एनसीडीसी द्वारा 992 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए गए हैं । इससे किसानों को आवश्यक बाजार लिंकेज उपलब्ध कराने और उन्हें अपनी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

7. **खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता:** सरकार ने पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आवंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है । तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 286 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है ।

8. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु अनुमति:** मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने के लिए वन-टाइम विकल्प दिया गया है। OMCs द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 4 राज्यों के 109 थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप लाइसेंसधारी पैक्स ने खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने की सहमति दे दी है जिसमें से 45 पैक्स को इस संबंध में OMCs से आशय पत्र (LOI) प्राप्त हो गया है ।

9. **पैक्स द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पात्रता:** सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी है । इससे पैक्स को अपनी आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ाने और अपनी आय प्रवाह में विविधीकरण करने का एक विकल्प प्राप्त होगा ।

10. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं तक सुगम पहुंच हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: सरकार द्वारा पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK)

के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है, जिससे उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे और ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं तक सुगम पहुँच सुनिश्चित होगी । अब तक, 4,470 पैक्स/सहकारी समितियों द्वारा PMBJK के रूप में कार्य करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिसमें से 2,705 पैक्स को फार्माश्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवासेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा प्रारंभिक मंजूरी दी जा चुकी है और 755 पैक्स को राज्य औषधि नियंत्रकों से औषध लाइसेंस प्राप्त हो गए हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं ।

11. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स:** देश में किसानों को उर्वरक और अन्य संबंधित सेवाएं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने हेतु पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के लिए सक्षम किया जा चुका है । उर्वरक विभाग (भारत सरकार) और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार 36,180 पैक्स PMKSK के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

12. **पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं (PWS) का प्रचालन और रखरखाव (O&M) कार्य:** पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) करने के लिए पात्र बनाया गया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पंचायत/गांव के स्तर पर प्रचालन व रख-रखाव (O&M) सेवाएं प्रदान करने हेतु 1,227 पैक्स चिह्नित/चयनित किए गए हैं ।

13. **पैक्स के स्तर पर PM-KUSUM का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल करा सकते हैं ।

14. **डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:** डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के बैंक मित्र बनाए जा सकते हैं । सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं" प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं । इस पहल के सफल कार्यान्वयन हेतु दिनांक 19 सितंबर, 2024 को मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) लॉन्च किया गया है । अब तक गुजरात में बैंक मित्र सहकारी सहकारी समितियों को 7,446 माइक्रो एटीम वितरित किए गए हैं ।

15. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड:** जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) की पहुंच के विस्तारण तथा डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक तरलता प्रदान करने और तुलनात्मक रूप से निम्नतर ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेनों में सक्षम करने हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) का वितरण किया जा रहा है । इस पहल के सफल कार्यान्वयन हेतु दिनांक 19 सितंबर, 2024 को मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) लॉन्च किया गया है । अब तक, गुजरात राज्य में 7,25,795 रुपे किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं ।

16. **मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) की स्थापना**: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु एनसीडीसी ने प्रारंभिक चरण में 70 FFPOs का

पंजीकरण किया है । इसके अतिरिक्त मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को FFPOs में रूपांतरित करने का कार्य सौंपा है ।

17. **श्वेत क्रांति 2.0:** सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 नामक एक नई पहल लॉन्च की है जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादन में सुधार करना है । इस पहल का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में 50% की वृद्धि करना, डेयरी किसानों को अब तक संगठित डेयरी क्षेत्रक द्वारा आच्छादित न हुए क्षेत्रों में बाजार पहुंच प्रदान करना और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है । सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की सहभागिता से श्वेत क्रांति 2.0 के सफल कार्यान्वयन को मार्गदशित करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर दिनांक 19 सितंबर, 2024 को विमोचित किया ।

18. **आत्मनिर्भरता अभियान:** सहकारिता मंत्रालय ने आयात निर्भरता घटाने के लिए दलहन (तुअर, मसूर और उड़द) और एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम 2.0 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एथनॉल उत्पादन हेतु मक्का के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की एक पहल लॉन्च की है । इस पहल के तहत राष्ट्रीय सहकारी कृषि उपभोक्ता संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के पंजीकरण के लिए क्रमश: ईसम्युक्ति (एनसीसीएफ) और ईसमृद्धि (नेफेड) पोर्टल का विकास किया है । सरकार द्वारा तुअर, उड़द और मसूर दलहन के पूर्व-पंजीकृत किसानों के 100% उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की गारंटी दी गई है । इससे किसानों को एक सुरक्षा कवच प्राप्त होता है । तथापि, बाजार मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने पर किसानों को उच्चतर लाभ हेतु अपने उपज को खुले बाजारों में बेचने की आजादी होगी । इसी प्रकार दोनों एजेंसियां खरीफ, जैद और रबी, तीनों मौसम के दौरान मक्का का खरीद कार्य करेंगे, जो एथनॉल डिस्टिलरियों को मक्के की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और साथ ही साथ किसानों को मक्का खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा । आज की स्थिति के अनुसार, एनसीसीएफ के Esamyukti.in पोर्टल पर 15,38,704 किसान और नेफेड के Esamridhi पोर्टल पर 17,64,130 किसान पंजीकृत हो चुके हैं ।

ख. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तिकरण

19. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को व्यापार विस्तारण हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5) तक नई शाखाएँ खोल सकेंगे ।

20. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। इन बैंकों के खाताधारक अब अपने घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे ।

21. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति:** सहकारी बैंक अब बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के निपटान की कार्रवाई भी कर सकेंगे।

22. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को प्राथमिक क्षेत्र उधार (PSL) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु दी गई समय-सीमा में वृद्धि:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को PSL लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दी गई समय-सीमा को दो वर्षों के लिए, अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

23. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित:** सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद हेतु काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया है।

24. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवासन ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक की गई:**

    क. शहरी सहकारी बैंकों के आवासन ऋण की सीमा को अब 30 लाख रुपये से दोगुना कर 60 लाख रुपये कर दिया गया है।

    ख. ग्रामीण सहकारी बैंकों के आवासन ऋण सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है।

25. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवासन क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:** इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि आवासन सहकारी समितियां भी लाभान्वित होंगी।

26. **सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया:** सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) में ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से लिंक करके घटा दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थानों को भी उत्पादन-पूर्व चरण में यह सुविधा पहले तीन महीनों में निःशुल्क प्राप्त होगी। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक्स द्वारा घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

27. **ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को CGTMSE योजना में सदस्य ऋण संस्थान (MLI) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल-मुक्त ऋण मिल सकेगा।

28. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा

राशि बरकरार रखे हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं ।

29. **स्वर्ण ऋण हेतु RBI द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PSL लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है ।

30. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (UO) की स्थापना हेतु नैशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB) को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रचालन सहायता प्राप्त हो सकेगी ।

(ग) <u>सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम में राहत</u>

31. **एक करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है**: इससे सहकारी समितियों पर आयकर का भार कम होगा और उनके पास अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगा

32. **सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया:** इस उपबंध से अब सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच इस संबंध में समरूपता हो गई है ।

33. **आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत नकद लेनदेन में राहत:** आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन सहकारी समतियों द्वारा नकद लेनदेन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ किसी एक दिन में किए गए 2 लाख रुपए से कम के नकद लेनदेन को पृथक माना जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

34. **नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती:** सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण कार्य शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों से अधिभार के साथ 30% तक के पूर्व दर की तुलना में 15% का सपाट निम्न कर-दर लगाया जाएगा । इससे विनिर्माण के क्षेत्र में नई सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा ।

35. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) की नकद जमाराशि और नकद ऋण की सीमा में वृद्धि:** सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDB) द्वारा नकद जमा और नकद ऋणों की सीमा को प्रति सदस्य 20,000 रुपए से बढ़ा कर 2,00,000 रुपए कर दी गई है । इस उपबंध से उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाएगा और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा इन समितियों के सदस्य लाभान्वित होंगे ।

36.सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बिना नकद निकासी की सीमा में वृद्धि: सरकार ने सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती किए बिना नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है । इस प्रावधान से सहकारी समितियों को स्रोत पर कर कटौती में राहत प्राप्त होगी जिससे उनकी चल निधि में वृद्धि होगी ।

घ. सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

37.सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत: सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 से गन्ना किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्य का भुगतान करने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य या राज्य सलाह मूल्य तक कोई अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा ।

38.सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित समस्याओं का समाधान: सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया है कि सहकारी चीनी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें 46,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राहत मिलेगी ।

39.सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण हेतु 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का शुभारंभ:: सरकार ने NCDC के माध्यम से एथनॉल संयंत्र या कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या फिर तीनों के लिए एक योजना आरंभ की है । अब तक, मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी को 750 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपये) जारी किया है और दिनांक 07.11.2024 की स्थिति के अनुसार एनसीडीसी ने 58 सहकारी चीनी मिलों को 8040.38 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी है।

40.एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता: भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के अधीन एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा गया है ।

41.शीरा (मोलासस) पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया: सरकार ने शीरा (मोलासस) पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है जिससे सहकारी चीनी मिलें डिस्टिलरियों को उच्चतर दरों पर शीरा की बिक्री करके अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे ।

(ङ) तीन नई राष्ट्र-स्तरीय बहुराज्य सहकारी समितियां

42.प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी समिति: सरकार ने एकल ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए अंब्रेला संगठन के रूप में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) ने रबी मौसम के दौरान अब तक 366 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं, सरसों और दलहन

(चना, मटर) के प्रजनक बीजों का रोपण किया है । इसी प्रकार, खरीफ मौसम के दौरान 148.26 हेक्टेयर भूमि में धान, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार और ग्वार के प्रजनक बीजों का रोपण किया गया है । अब तक 14,816 पैक्स/सहकारी समितियां भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की सदस्य बन गई हैं ।

43. **<u>जैविक कृषि के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य ऑर्गैनिक सहकारी समिति:</u>** सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक अंब्रेला संगठन के रूप में प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी समिति राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स समिति (NCOL) की स्थापना की है । अब तक 3,772 पैक्स/सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) की सदस्य बन गई हैं । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गैनिक्स लिमिटेड (NCOL) द्वारा "भारत ऑर्गैनिक्स" ब्रांड के तहत अब तक 13 उत्पाद, अर्थात् चोकरयुक्त आटा, मूंग धुली, मूंग साबूत, मूंग छिलका दाल, मूंग टूटा, अरहर/तुअर दाल, उड़ साबूत, मसूर साबूत, मसूर मलका, भूरा चना, राजमा चित्रा, चना दाल लॉन्च किए जा चुके हैं ।

44. **निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति**: सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंब्रेला एजेंसी के रूप में एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य राष्ट्रीय सहकारी समिति की स्थापना की है जिसे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) का नाम दिया गया है । अब तक लगभग 5,438 पैक्स/सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के सदस्य बन गई हैं। आज तक NCEL द्वारा 4,581.7 करोड़ रुपये के निर्यात मूल्य के साथ कुल 11,62,728 मीट्रिक टन सामग्री (चावल, चीनी, प्याज, गेहूं, मक्का और जीरा) का निर्यात किया गया है ।

च. <u>सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण</u>

45. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरुकता निर्माण को प्रोत्साहन:** अपनी पहुंच को विस्तारित करते हुए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ने अक्टूबर, 2024 तक 1,937 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया है और 1,09,021 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है ।

छ. <u>'सुगम व्यवसाय' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग</u>

46. **केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण :** बहुराज्य सहकारी समितियों को डिजिटल परितंत्र के निर्माण के लिए केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है जो समयबद्ध रीति से आवेदनों और सेवा अनुरोधों के प्रोसेसिंग में सहायक होगा ।

47. **राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यलयों के कंप्यूटरीकरण की योजना:** सहकारी समितियों के लिए 'सुगम व्यवसाय' में वृद्धि तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पारदर्शी कागज-रहित विनियमन हेतु एक डिजिटल परितंत्र के सृजन के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को हार्डवेयर

की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास, इत्यादि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। अब तक, 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

48. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण:** दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है। नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। अब तक 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 4.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

छ. अन्य पहलें

49. **प्रामाणिक और अद्यतित डेटा संग्रहण हेतु नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस**: राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है जो देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों के लिए सहायक होगा। इस डेटाबेस में अब तक 8 लाख से भी अधिक सहकारी समितियों के डेटा संग्रहित किए गए हैं।

50. **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023:** बहुराज्य सहकारी समितियों में 97वां संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करने और शासन सशक्त करने, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है।

51. **सहकारी ऑम्बुड्समैन:** बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के पश्चात् सहकारी ऑम्बुड्समैन को उक्त अधिनियम की धारा 85क द्वारा दिनांक 05.03.2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया गया है। ऑम्बुड्समैन कार्यालय पूर्णरूपेण कार्यशील है और बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों की जमाराशियों, कार्यरत बहुराज्य सहकारी समितियों के न्यायोचित लाभ या संबंधित सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों या अपीलों पर कार्य करता है।

52. **सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (CEA):** बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के पश्चात् सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को शासन सशक्तीकरण और उत्तरदायित्व के लिए स्थापित किया गया है जिसे सभी बहुराज्य सहकारी समितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने हेतु अधिदेश प्राप्त है। 60 से भी अधिक बहुराज्य सहकारी समितियों में सफलतापूर्वक निर्वाचन कराए गए हैं।

53. **GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में शामिल करना:** सरकार ने सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे वे किफायती खरीद एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 67 लाख वेंडरों से माल और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। GeM पोर्टल पर 'क्रेता' के रूप में अब तक 574 सहकारी

समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं । आज की स्थिति के अनुसार 273.62 करोड़ रुपये के लेनदेन राशि के साथ कुल 2,406 लेनदेन किए गए हैं ।

54. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की व्यापकता और पहुंच का विस्तारण:** NCDC ने विभिन्न क्षेत्रकों में नई योजनाएं शुरू की है जैसे स्वयं सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार', दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' । चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में NCDC द्वारा 52,533 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता का संवितरण किया गया है ।

55. **गहरे समुद्री ट्रॉलरों के लिए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता**: मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के समन्वय से NCDC द्वारा गहरे समुद्री ट्रॉलरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । NCDC द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में मात्स्यिकी सहकारी समितियों को 44 गहरे गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए 25.95 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की गई है ।

56. **सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को रिफंड:** सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को पारदर्शी रीति से भुगतान करने हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है । उनकी जमाराशि और दावों के साक्ष्य की प्रस्तुति एवं उचित पहचान के पश्चात् संवितरण का कार्य आरंभ हो चुका है । अब तक, 8.23 लाख आवेदकों को 1248.71 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है ।

*****

अनुबंध -II (क)

कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स को सुदृढ़ बनाने की परियोजना के तहत पैक्स को मंजूरी और जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण-

क्रम सं.	**राज्य**	**अनुमोदित पैक्स की संख्या**	**जारी किया गया भारत सरकार का हिस्सा (रुपए करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश	2,037	18.67
2	अरुणाचल प्रदेश	14	0.27
3	असम	583	12.16
4	बिहार	4,495	32.95
5	छत्तीसगढ़	2,028	25.07
6	गोवा	58	0.45
7	हरियाणा	710	7.29
8	हिमाचल प्रदेश	1,789	16.88
9	झारखंड	1,500	18.54
10	कर्नाटक	5,491	55.64
11	मध्य प्रदेश	4,536	58.65
12	महाराष्ट्र	12,000	121.60
13	मणिपुर	232	2.55
14	मेघालय	112	1.23
15	मिजोरम	25	0.71
16	नागालैंड	231	2.82
17	पंजाब	3,482	25.52
18	राजस्थान	6,781	67.08
19	सिक्किम	107	2.08
20	तमिल नाडु	4,532	45.68

क्रम सं.	राज्य	अनुमोदित पैक्स की संख्या	जारी किया गया भारत सरकार का हिस्सा (रुपए करोड़ में)
21	त्रिपुरा	268	5.59
22	उत्तर प्रदेश	5,686	53.58
23	पश्चिम बंगाल	4,167	30.54
24	उत्तराखंड	670	3.69
25	गुजरात	5,754	80.49
26	जम्मू और कश्मीर	537	8.62
27	पुड्डुचेरी	45	0.61
28	अंडमान और निकोबार	46	0.69
29	लद्दाख	10	0.12
30	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	0.12
31	चंडीगढ़	-	-
32	ओडिशा	-	-
33	तेलंगाना	-	-
34	केरल	-	-
कुल		**67,930**	**699.89**

अनुबंध -II (ख)

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत एआरडीबी को स्वीकृत एवं जारी राशि का राज्यवार विवरण-

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत इकाइयों (एआरडीबी) की कुल संख्या	कुल भारत सरकार का हिस्सा (वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25)
1.	पुदुचेरी	2	389630
2.	पंजाब	113	4675558
3.	जम्मू और कश्मीर	51	2635731
4.	त्रिपुरा	6	386765
5.	उतार प्रदेश।	342	12720267
6.	कर्नाटक	207	8027519
7.	तमिलनाडु	216	8192106
8	हरयाणा	90	0
9.	हिमाचल प्रदेश	88	5610032
10.	गुजरात	195	0
11।	राजस्थान		0
12.	पश्चिम बंगाल		0
13.	केरल		0
	कुल	1310	42637608

अनुबंध -II(ग)

भाग क: निगम प्रायोजित योजना

सहायता प्राप्त कार्यकलाप:

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए ऋण (सावधि ऋण और निवेश ऋण दोनों) और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है । ऋण घटक एनसीडीसी की अपनी निधियों में से प्रदान किया जाता है, जबकि पात्र सब्सिडी अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से प्राप्त करने के बाद प्रदान की जाती है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)) द्वारा सहायता प्राप्त कार्यकलापों की सूची इस प्रकार है:-

क) **विपणन**;
ख) **प्रसंस्करण**;
ग) **भंडारण**;
घ) **शीत श्रंखला**;
ङ) **औद्योगिक**;
च) **सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण**;
छ) **ऋण एवं सेवा सहकारी समितियां/अधिसूचित सेवाएं**;
ज) **सहकारी बैंकिंग इकाई**;
झ) **कृषि सेवाएं**;
ञ) **जिला योजना योजनाएं**;
ट) **कमजोर वर्ग सहकारी समितियां**;
ठ) **सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता**;
ड) **प्रोत्साहन एवं विकास कार्यक्रम।**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के केंद्रित उत्पाद

क **युवा सहकार - सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना**: इस योजना का उद्देश्य नए और/या अभिनव विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है ।

ख **आयुष्मान सहकार:** इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है ।

ग **नंदिनी सहकार:** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता को गति प्रदान करना है । यह महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना तैयार करने, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी, और/या अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान के महत्वपूर्ण इनपुट को अभिसरण करेगा ।

घ **डेयरी सहकार:** यह ESG (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता की एक सहकारी डेयरी व्यवसाय केंद्रित अवसंरचना है । इसमें नई परियोजनाओं के लिए सहकारी

समितियों द्वारा अवसरंचना का निर्माण और मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और/या विस्तार शामिल है ।

ङ **डिजिटल सहकार:** डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप, एनसीडीसी ने डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी समितियों के लिए एक केंद्रित वित्तीय सहायता अवसंरचना की कल्पना की है, जो एनसीडीसी द्वारा हैंडहोल्डिंग और क्रेडिट लिंकेज के लिए है, जो भारत सरकार/राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों/एजेंसियों से अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि के साथ जुड़ा हुआ है और जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों का डिजिटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग लेना है ।

च **स्वयं शक्ति सहकार योजना**:- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना ।

छ **दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना**: एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम ऋण देने के लिए कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को एनसीडीसी की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना ।

भाग-ख: एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही सहकारिता मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाएं

क **सहकारी चीनी मिलों को सशक्त करने के लिए एनसीडीसी को सहायता अनुदान**- सहकारिता मंत्रालय ।

ख **कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)** भंडारण और भंडारण अवसंरचना के अलावा कृषि विपणन पर केंद्रीय क्षेत्रीय एकीकृत योजना (CSISAM) की उप-योजना - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

ग **एकीकृत बागबानी विकास मिशन (MIDH) – एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन** – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।

घ **कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी** - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

ङ **राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)** के बीज एवं पौध रोपण सामग्री उपमिशन (SMSP) के अंतर्गत बीज उत्पादन घटक को बढ़ावा देने के लिए सहायता ।

च **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** – मत्स्य पालन विभाग; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

छ **पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (PMFME) -** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

ज **10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए योजना (FPOs)**- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

झ.**(i) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना** (**PMKSY**) – **खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन योजना** – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

(ii) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (**PMKSY**) – **एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना** – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSTFDC) – जनजातीय कार्य मंत्रालय

ण. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) - पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

ट. पुनः संरेखित पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) -मत्स्य पालन**,** पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

*****

अनुबंध - III

वर्ष 2019-20 से 2024-25 (10.12.2024 की स्थिति के अनुसार) तक कार्यकलाप- वार संवितरण **रु. करोड़ में**

क्रम.सं.		**कार्यकलाप**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (10.12.2024 की स्थिति के अनुसार)**
1	**विपणन**		15235.42	19576.38	26705.60	27984.74	52916.88	56336.79
	निविष्टियाँ		462.24	29.41	74.05	46.96	2.75	
2	**प्रसंस्करण**							
2(क)	**चीनी फैक्ट्री**		1821.14	1542.44	1316.71	694.25	2176.31	2493.56
2(ख)	**वस्त्र**		129.32	96.40	24.94	104.25	44.35	107.41
2(ग)	**अन्य प्रसंस्करण इकाइयाँ**							
	i	खाद्यान्न	1.06	1.07		0.85	1.44	1.15
	ii	रोपित फसलें	7.56	2.21	2.14	-	1.31	0.38
	iii	फल और सब्जियां	1.03	0.14	0.05	-	0.12	0.16
	iv	तिलहन	3.25	1.65		0.68	0.17	0.54
	v	लघु उद्योग				0	0.00	0.00
		पूर्ण योग 2(ग)	12.89	5.07	2.19	1.53	3.04	2.23
		कुल (2)	**1,963.36**	**1,643.91**	**1,343.84**	**800.02**	**2223.70**	**2603.20**
3	**भंडारण**		17.25	7.29	7.72	4.84	8.08	32.02
4	**शीत श्रृंखला**		7.36			-	11.06	10.20
5	**कमजोर वर्ग कार्यक्रम**							
	i	मात्स्यिकी सहकारी समितियां	163.63	119.18	168.76	298.91	41.33	22.42
	ii	डेयरी/पशुधन	415.33	168.50	569.16	264.70	301.45	26.52

	iii	पोल्ट्री	4.61			-	0.00	0.00
	iv	जनजाति/अनुसूचित जाति सहकारी समितियां	3.15			-	1.69	0.56
	v	हथकरघा सहकारी समितियां	2.39	0.90	102.46	28.57	0.23	0.52
	vi	पावरलूम					0.00	0.00
	vii	महिला सहकारी समितियां	-	-	-	-	0.00	0.00
	vii	कॉयर	80.00		30.00	-	0.00	0.00
	viii	जूट	-	-	-	8.76	0.05	0.06
		कुल (5)	**669.11**	**288.57**	**870.38**	**600.94**	**344.75**	**50.08**
6	**सहकारी समितियों कम्प्यूटरीकरण**		36.52	30.87	25.06	45.02	0.42	0.00
7	**उपभोक्ता सहकारी समितियां**		3.39	0.89	2.69	1.40	4.13	0.00
8	**आईसीडीपी**		175.14	152.61	283.06	177.87	23.26	0.07
9	**सी, आईसी और एससी**							
	i	औद्योगिक सहकारी समितियां				-	0.00	0.00
	ii	क्रेडिट और सेवा	9,129.28	2,996.23	4,894.20	11,322.30	5000.77	6256.93
	कुल (9)		**9,129.28**	**2,996.23**	**4,894.20**	**11,322.30**	**5000.77**	**6256.93**
10	**युवा सहकार**			0.27		0.10	0.84	0.04
11	**पी एंड डी**		4.38	4.48	6.45	6.15	6.75	0.00
12	**एफपीओ**			2.32	8.04	38.25	48.33	38.08
13	**एफएफपीओ**					2.81	26.73	18.76
	कुल योग (1 से 14)		**27,703.43**	**24,733.24**	**34,221.08**	**41,031.40**	**60,618.47**	**65,346.17**

अनुबंध -IV

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 (10.12.2024 की स्थिति के अनुसार) तक राज्य-वार संवितरण **रु. करोड़ में**

क्रम.सं.	राज्य का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (10.12.2024 की स्थिति के अनुसार)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.28	-		0	1.69	0.56
2	आंध्र प्रदेश	405.62	603.98	2,831.59	9734.7	13,280.13	13,332.55
3	अरुणाचल प्रदेश	7.56	1.44	0.25	0.38	-	0.07
4	असम	14.34	5.59	3.57	17.48	0.89	1.71
5	बिहार	454.40	1,633.60	2,857.90	4053.75	815.83	5.49
6	चंडीगढ़			0.03	0.03	-	-
7	छत्तीसगढ़	5,500.35	12,000.07	12,400.87	8502.24	18,991.35	12,130.81
8	दमन और दीव				0	0.11	-
9	गोवा	0.11	0.19		0	-	0.03
10	गुजरात	118.34	52.25	37.40	370.8	586.99	259.75
11	हरियाणा	6,608.58	6,645.11	12,827.75	6655.24	9,887.36	12,380.50
12	हिमाचल प्रदेश	59.69	36.90	14.74	12.91	1.85	3.38
13	जम्मू और कश्मीर	-	-	0.13	0.58	0.71	0.75
14	झारखंड	8.25	0.92	1.79	4.63	2.54	27.77
15	कर्नाटक	151.67	170.69	164.49	112.54	261.35	430.98

16	**केरल**	363.89	303.54	371.85	704.74	275.89	582.34
17	**लक्षद्वीप**						0.02
18	**मध्य प्रदेश**	1,081.70	208.36	477.10	284.4	322.86	153.42
19	**महाराष्ट्र**	1,015.07	1,145.59	688.07	751.16	2,101.42	2,482.71
20	**मणिपुर**	4.79	-	0.04	30.38	6.60	0.39
21	**मेघालय**	-	57.80	0.04	0.14	0.22	0.12
22	**मिजोरम**	-	2.16	1.06	4.23	3.24	1.16
23	**नागालैंड**	13.37	6.07	0.17	1.2	0.67	0.50
24	**ओडिशा**	3.75	0.80	4.06	1.61	3.24	3.11
25	**पंजाब**	135.28	22.77	0.13	0.42	1,650.44	2,000.22
26	**पुड्डुचेरी**				0.06	-	-
27	**राजस्थान**	7,256.74	157.80	7.79	4.91	66.09	66.65
28	**सिक्किम**			-	0.14	0.22	0.05
29	**तमिलनाडु**	21.24	21.58	50.75	30.49	4.28	17.98
30	**तेलंगाना**	3,568.83	739.88	1,092.20	9304.97	12,174.11	20,982.02
31	**त्रिपुरा**	3.05	3.20	3.00	12.35	1.55	0.86
32	**उत्तर प्रदेश**	673.10	827.95	252.33	350.24	13.04	207.15
33	**उत्तराखंड**	12.34	17.22	80.36	10.5	149.13	3.88
34	**पश्चिम बंगाल**	128.35	59.13	44.16	63.36	4.96	2.69
35	**दिल्ली + अन्य**	82.74	8.61	7.46	10.82	9.71	266.55
	कुल	**27,703.43**	**24,733.24**	**34,221.08**	**41,031.40**	**60,618.47**	**65,346.17**